भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7	परियोजना/ स्कीम का स्थान	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के निर्माण के कम में विद्युत सुदृढीकरण हेतु 765 के0वी0 उरई – अलीगढ ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण जिसके द्वारा संयुक्त परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र की की उत्पादित बिजली को उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के विद्युत नेटवर्क को मजबूती प्रदान किया जायेगा जिसमें औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में बृहद रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	जालौन
(iii)	वन प्रभाग	सा0 वा0 वन प्रभाग उरई (जालौन)
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0) में	0.268 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/ जलीय परियाजना के संबंध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एक आर एफ एल–4 मीटर भी संलग्न किया जाये।	संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	0 कि0मी0
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वाईन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हां तो तत्संबधी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लि अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र /अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डो का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवकमि वन क्षेत्र और आस पास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्यवन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनी करण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	737200.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टीकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये)।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टीकोण से उपयुक्त है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम –7 (xi, xii) 8 और 9 में पूंछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	कोई नहीं।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4565 वर्ग कि0मी0
(ii)	जले का वन क्षेत्र	25639.35 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	5 मामले (55.148 हे0)
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	 52.50 हे0 00
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	 52.50 हे0 00

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथिः

स्थान

(बी0 आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0 वा0 वन प्रभाग, उरई।

योगेन्द्र कुमार साहू
YOGENDRA KUMAR SHAU
मुख्य प्रबंधक/CHIEF MGR
पावर ग्रिड, उरई
POWER GRID, ORAI

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कोंच, वन प्रभाग
(जालौन)

उप-वन संरक्षक
जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उरई (जालौन)